**Sixteenth Loksabha**

an>

Title: Need to provide financial assistance to farmers of desert areas of Rajasthan for fencing of their agricultural fields.

**श्री राहुल कस्वां (चुरू) :** हाल ही में राजस्थान सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों को तारबन्दी व सुरक्षा के लिए कम से कम ढ़ाई बीघा व अधिकतम 9 बीघा जमीन के लिए अधिकतम 40000 रू. या कुल कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान देने की धोाणा की है जो छोटे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। आज के दिन राजस्थान के किसान की हालत बहुत दयनीय हे। प्रत्येक किसान आवारा पशुओं से परेशान है। चरू जिले में जोत सीमा तो अधिक है ही साथ ही यहां के 85 प्रतिशत से अधिक किसान र्वाा आधारित खेती पर निर्भर है जिनके पास र्वाा के अलावा सिचांई के अन्य कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र के सभी किसानों के बाड़बन्दी एवं तारबन्दी हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान जारी करते हुए 9 बीघा क्षेत्र से अधिक जमीन वाले किसानों को भी राजस्थान सरकार की तर्ज पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि करावें एवं इस आवेदन की प्रक्रिया ऑन-लॉइन होनी चाहिए और सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जमा होनी चाहिए ताकि बिचौलियों से किसान को राहत मिल सके।